



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) — 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 1919

दिनांक : 29.10.2025

मॉप-अप चरण विज्ञापित

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातक हेतु नीट यू0जी0-2025 की मेरिट के आधार पर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 / पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीकृत काउंसिलिंग (**Centralized Counselling**) विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त सीटों को **मॉप-अप चरण** की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:-

मॉप-अप चरण की यू0ए0यू0सी0 यू0जी0- 2025 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:-

Mop- up Round of online Counseling	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	01.11.2025 to 04.11.2025
Display of Merit List on website	06.11.2025
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University and allotment of seats by Counseling Board..	10.11.2025 (for State Quota) 11.11.2025 (for All India Quota)
Last date of joining the allotted college	12.11.2025 to 15.11.2025

1- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0) की मॉप-अप चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्तः:-

- नीट- 2025 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहे हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय चरण चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और मॉप-अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और मॉप-अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते हैं।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है किन्तु माप-अप चरण हेतु प्रतिभाग करना चाहते हुए ऐसे अभ्यर्थी को अपने पूर्व में प्रवेशित सीट को त्याग करना होगा इस हेतु वह सम्बंधित परिसर/संस्थान के प्राचार्य को निर्धारित शुल्क देकर **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** प्राप्त करना होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को विश्वविद्यालय को पंजीकरण की तिथि (दिनांक 01.11.2025) से पूर्व को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित सीट पर कोई **दावा मान्य** नहीं होगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आयुष स्नातक काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को **अनअर्ह (ineligible)** घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित माँप-अप चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

2- आन-लाईन माप-अप चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्क:-

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को माँप अप चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को **धनराशि रूपया 2000/- (दो हजार रू0 मात्र) नान रिफनडेबल पजीकरण शुल्क** के रूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे माप-अप चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह **नहीं** माने जायेंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 **15000/- (पंद्रह हजार रू0 मात्र)** ऑन-लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 **15000/- (पंद्रह हजार रू0 मात्र)** की व्यवस्था करें। नगद राशी स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑन-लाईन के माध्यम से ही रू0 **15000/- (पंद्रह हजार रू0 मात्र)** लिया जायेगा। यदि सम्बंधित अभ्यर्थी आवंटित पत्र (Allotment letter) डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित समय के अंतर्गत प्रवेश नहीं लेता है तो सिक्योरिटी शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी यू0ए0यू0सी-यू0जी0- 2025 की विवरण पुस्तिका (information brochure) का भली भांति अध्ययन कर लें।

3- माँप-अप चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

- अभ्यर्थियों को माँप-अप चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- **माँप-अप चरण की सीटों का आवंटन दिनांक 10.11.2025 (राज्य कोटा के अभ्यर्थी) एवं 11.10.2025 (अखिल भारतीय कोटा के अभ्यर्थी) को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा, अभ्यर्थी अपने रहने एवं खाने का प्रबंध स्वयं करें।**
- **सीट परिवर्तन/ Seat Conversion माँप-अप चरण में होगी।**

- अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्व: प्रमाणित एक प्रतियां साथ में लाएं:-
 - Mou- Up Round Application Form Print
 - Coloured passport size photographs (two)
 - High School (10th) Certificate for Ageproof.
 - Intermediate (10+2) Certificate.
 - Intermediate (10+2) Marksheet.
 - NEET 2025 Admit Card
 - NEET 2025 Result/Rank letter
 - Certificate of Reserve category, if applicable (SC,ST,OBC,EWS)
 - Certificate of Sub Category, if applicable. (for Domicile/Permanent resident of Uttarakhand only)
 - Ex servicemen /Dependent of Ex servicemen (DPW)/Dependent of FF/PwD(PH) category certificate issued by competent authority of Uttarakhand state only, if applicable.
 - Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.
 - Domicile Certificate (For Uttarakhand domicile candidate only)
 - Valid ID proof (preferably Aadhar Card/Passport/Driving License etc)

काउंसिलिंग स्थल:- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हरवाला, देहरादून।

4- अन्य सामान्य नियम/शर्तें

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCUG- 2025 information brochure का अध्ययन भली-भांति कर लें।
- काउंसिलिंग की प्रक्रिया, समय-सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स, एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारीयाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की जा रही है एवं भविष्य में भी काउंसिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नोडल काउंसिलिंग